''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-1-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 19 जनवरी 2006—पौष 29, शक 1927

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक 558/21-अ/प्रारुपण/06.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 17-1-2006 को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम

(क्रमांक 3 सन् 2005)

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005

छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम. 1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 है.

धारा 7-ख का संशोधन. 2. छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण अधिनियम, 1983 (क्रमांक 29 सन् 1983) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) की धारा 7-ख की उपधारा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(2-क) उपधारा (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, अधिकरण कोई निर्देश याचिका तब तक ग्रहण नहीं करेगा जब तक कि निर्देश याचिका उस तारीख से तीन वर्ष के भीतर नहीं की जाती है, जिसको संकर्म संविदा पर्यवसित हो जाती है, पुरोबंधित हो जाती है, परित्यक्त कर दी जाती है या किसी अन्य रीति से समाप्त हो जाती है या जब संकर्म संविदा के लंबित रहने के दौरान कोई विवाद उद्भूत हो जाता है :

परंतु यदि निर्देश याचिका राज्य सरकार द्वारा फाइल की जाती है तो ऐसा काल तीस वर्ष होगी."

धारा 19 का संशोधन. 3. मूल अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा स्थापित की जाए, अर्थात् :—

"(1) उच्च न्यायालय स्वप्रेरणा से किसी भी समय या अधिनिर्णय के तीन माह के भीतर व्यथित पक्षकार द्वारा पुनरीक्षण के लिए उसे किये गए आवेदन पर, किसी ऐसे मामले का जिसमें इस अधिनियम के अधीन अधिनिर्णय किया गया है, अधिकरण को अध्यपेक्षा जारी करके अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसी अध्यपेक्षा प्राप्त होने पर, अधिकरण उस न्यायालय को संबंधित अधिनिर्णय और उसका अभिलेख भेजेगा या भिजवायेगा :

परन्तु पुनरीक्षण के लिए कोई आवेदन तीन मास के विहित कालावधि के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि आवेदक, उच्च न्यायालय का यह समाधान कर दे कि उसके पास ऐसे कालावधि के भीतर पुनरीक्षण करने के लिए पर्याप्त हेतुक था.

स्पष्टीकरण :— यह तथ्य, कि आवेदक विहित कालावधि का अभिनिश्चय या संगणना करने में उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था, इस उपधारा के अर्थ के भीतर पर्याप्त हेतुक हो सकेगा."

रायपुर, दिनांक 19 जनवरी 2006

क्रमांक 558/21-अ/प्रारुपण/06.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ माध्यस्थम अधिकरण (संशोधन) अधिनियम, 2005 (क्र. 3 सन् 2005) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विमला सिंह कपूर, उप-सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 3 of 2005)

THE CHHATTISGARH MADHYASTHAM ADHIKARAN (SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2005

An Act further to amend the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhinuyam, 1983.

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Fifty-Sixth year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2005. **Short title.**

2. After sub-section (2) of section 7-B of the Chhattisgarh Madhyastham Adhikaran Adhiniyam, 1983 (No. 29 of 1983) (hereinafter referred to as the Principal Act), the following sub-section shall be added, namely :— **Amendment of Section 7-B.**

"(2-A) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the Tribunal shall not admit a reference petition unless it is made within three years from the date on which the works contract is terminated, foreclosed, abandoned or comes to an end in any other manner or when a dispute arises during the pendency of the works contract.

Provided that if a reference petition is filed by the State Government, such period shall be thirty years."

3. For sub-section (1) of section 19 of the Principal Act, the following sub-section shall be substituted, namely :— **Amendment of Section 19.**

"(1) The High Court may suo moto at any time or on an application for revision made to it within three months of the award by an aggrieved party, call for the record of any case in which an award has been made under this Act by issuing a requisition to the Tribunal, and upon receipt of such requisition the Tribunal shall send or cause to be sent to that Court the concerned award and record thereof :

Provided that any application for revision may be admitted after the prescribed period of three months, if the applicant satisfies the High Court that he had sufficient cause for not preferring the revision within such period.

Explanation—The fact that the applicant was misled by any order, practice or judgment of the High Court in ascertaining or computing the prescribed period may be sufficient cause within the meaning of this sub-section."

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.